न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2024/142

प्रकरण संख्या 51/24

अनवान

1. श्री अमर सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपुत निवासी जसवन्तपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री चंपालाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड निवासी जसवन्तपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्री लाल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति राजपुत निवासी जसवन्तपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..........प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती गंगा बाई पुत्री श्री प्रथा जाति मेघवाल निवासी जसवन्तपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती भानीबाई पत्नी श्री प्रथा जाति मेघवाल निवासी जसवन्तपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.........विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम</u>

—: : निर्णय : :—

दिनांक 09.07.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जसवन्तपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की आराजी संख्या 597, 862/595, 864/588 कुल किता 3 रकबा 1.0800 है. भूमि 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि के विपक्षी संख्या 2 व 3 पडोसी हैं। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि की सीमा को लेकर आये-दिन विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। मौके पर कई [illegible] कृषि भूमि की सीमा को भी देखा गया परन्तु पत्थरगढी के अभाव में सीमा [illegible] विवाद का स्थाई रूप से समाधान नही हो सका और इस कारण से प्रार्थीगण अपनी [illegible] उक्त कृषि भूमि का सही ढंग से विकास भी नहीं कर पा रहे है तथा कृषि भूमि की [illegible] के लिये तारबंदी इत्यादि के कार्य में भी परेशानी आ रही है। अतः पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।
3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 3 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedlya
Date: 2025.02.06 16:19:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याया

प्रार्थी

किस्त

दिनांक

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जसवन्तपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड़) तहसील कानोड़ जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत 2078–81 की आराजी संख्या 597, 862/595, 864/588 कुल किता 3 रकबा 1.0800 है. भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढ़ी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार कानोड़ को 1000/– एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। उक्त पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करे कि पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड़ को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:19:36 IST
Reason: SelfAttested